

MOST URGENT

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/प्रारं./एसआईक्यूई/भाषा संगम/19558/2018/115। दिनांक 27-11-18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले

विषय— भाषा संगम (एक भारत श्रेष्ठ भारत) के अन्तर्गत भारतीय संविधान की अनुसूची VII में चयनित भाषाओं का प्रारंभिक परिचय कराने एवं भाषा ज्ञान समृद्धि हेतु गतिविधियों के आयोजन के क्रम में।

प्रसंग— रास्कूलशिप/जय/गुणवत्ता/एक भारत श्रेष्ठ भारत/2018-19/8819 दिनांक 22.11.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 20 नवम्बर 2018 से 21 दिसम्बर 2018 तक भाषा संगम के अन्तर्गत विद्यार्थियों का हमारे देश की विभिन्न भाषाओं की जानकारी दी जानी है। जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को भारतीय संविधान की अनुसूची VII के अन्तर्गत 22 भाषाओं में सामान्य संवादों से अवगत कराना है ताकि उनमें भाषा समृद्धि के साथ—साथ सभी भाषाओं का सम्मान एवं राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो सके।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न पत्रानुसार गतिविधियों का आयोजन करवाकर राज्य के विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान को समृद्ध किया जाना है। इस संदर्भ में आप सभी अपने जिले के संस्था प्रधानों को प्रतिदिन 5-10 विद्यालयों से गतिविधियों के श्रेष्ठ फोटोज/वीडियो प्राप्तकर संलग्न भाषा संगम के निर्देशानुसार अपलोड कराने हेतु पाबंद करावें। राजस्थान राज्य से संबंधित गतिविधियों में अधिकाधिक भागीदारी के आधार पर श्रेष्ठ विद्यालय, ब्लॉक, जिला, एवं राज्य को स्कूल शिक्षा विभाग, MHRD द्वारा चयनित कर पुरस्कृत किया जाएगा।

संलग्न फॉर्मेट में प्रतिदिवस विद्यालयों, ब्लॉक, जिला द्वारा अपलोड किए गए फोटो/वीडियो की संख्या राज्य कार्यालय की ई-मेल — rddrei@gmail.com एवं siquerajasthan.state2@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रपत्र के फॉर्मेट संलग्न पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। आपके कार्यालय के सहायक निदेशक को इस कार्य हेतु मॉनिटरिंग प्रभारी नियुक्त किया जावे।

आशा ही नहीं अपितु पुर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य का निर्वहन बेहतर दायित्व के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न — MHRD का मूल पत्र एवं उपरोक्तानुसार निर्देश

राज्यपाल
सहायक निदेशक
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक—शिविरा/प्रारं./एसआईक्यूई/भाषा संगम/19558/2018/115। दिनांक 27-11-18

प्रतिलिपि—:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा, जयपुर
3. निजी सहायक, निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर
4. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राज. बीकानेर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर

6. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक
8. समस्त संस्थाप्रधान (मा.वि/उमावि.)/पीईईओ
9. उपनिदेशक शाला दर्पण को पत्र भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को शाला दर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें
10. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) कंप्युटर अनुभाग, माध्य.शिक्षा एवं प्रारं. शिक्षा, वीकानेर को पत्र देकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें
11. कार्यालय प्रति

www.rajteachers.com


सहायक निदेशक
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, वीकानेर